

**मध्यप्रदेश शासन**  
**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**मंत्रालय**  
**आदेश**

क्रमांक एफ 9-01/2020/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक / /2020

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर /ग्वालियर/इन्दौर, मध्यप्रदेश
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश

**विषय:** राज्य के अंदर स्थित निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार की मान्यता वृद्धि हेतु राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 18.12.2019 ।

....00.....

राज्य के अंदर स्थित निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार की मान्यता वृद्धि हेतु दिनांक 28.12.2019 को राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न की गई थी। जिसमें ऐसे निजी चिकित्सालय जिनके द्वारा **NABH Renewal Certificate** के संबंध में एवं मान्यता वृद्धि हेतु निर्धारित शुल्क रुपये 25,000/- रोगी कल्याण समिति में जमा कराकर मूल रसीद प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उनकी मान्यता दिनांक 01.01.2020 से स्थगित की जाती है, वे निम्नानुसार हैं:-

1. केरियर इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस, केरियर कॉलेज कैंपस, गोविंदपुरा, भोपाल।
2. पीपुल्स अस्पताल, रोशनपुरा, भोपाल।
3. महाकौशल हॉस्पिटल प्रा.लि. राईट टाऊन स्टेडियम, गेट नं. 3 के सामने, जबलपुर।
4. पीपुल्स अस्पताल भानपुर, भोपाल।
5. मेदांता हॉस्पिटल विजयनगर, इंदौर ।
6. अरिहंत हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर 283-A गुमास्ता नगर, इंदौर।
7. बारोड हॉस्पिटल एच 28, 59 एम.आर. रोड, इंदौर।
8. एस.एम.जे. ट्रस्ट शैल्वी हॉस्पिटल, अहिंसा चौक, कचनार सिटी रोड, विजयनगर, जबलपुर।

*os/mas*  
*27-1-20*

*all 2*  
*23/1/20*

9. स्वास्तिक मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, दीनदयाल चौराहा आई.टी.आई. रोड, जबलपुर।
10. बेस्ट सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, जबलपुर।
11. मोहनलाल हरगोविंद दास पब्लिक चैरीटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, राईट टाऊन, जबलपुर।
12. एम.पी. बिरला हॉस्पिटल एण्ड प्रियम्बदा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सतना।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 9-01/2020/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 22/01/2020

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.02 के संदर्भ में अग्रेषित ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर उनके परिपत्र क्रमांक 1496/1097/2014/नियम/चार, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के संदर्भ में अग्रेषित
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. (कृपया आदेश वेबसाइट पर अपलोड करावें) ।
4. संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल ।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल ।
6. संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल ।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र. ।
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल ।
11. संचालक, संबंधित निजी चिकित्सालय ।
- की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
12. गार्ड फाईल ।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग